न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 136/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/269

निर्णय दिनांकः 23/02/2026

रामूराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर, राजस्थान

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रीभगवान पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. हनुमान पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. कमला पत्नि स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. किरण पुत्री स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. भंवरी पुत्री स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. मंजू पुत्री स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. विमला पुत्री स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. संजू पुत्री स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. लालूराम पुत्र स्व. जगदीश उर्फ जीतूराम जाति कुम्हार निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण हैं। प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 350 क्षेत्रफल 9.2200 हैक्टेयर रोही ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में व खेत खसरा नम्बर 1245/1142 क्षेत्रफल 6.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम जोधासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेत खसरा नम्बर 350 रोही लखासर में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 1245/1142 रोही जोधासर में प्रार्थी का 6/25 हिस्सा स्थित हैं। वादगत खेतों में स्थित प्रार्थी के हिस्सा की खातेदारी भूमि प्रार्थी को विरास्तन प्राप्त हुई हैं। वादगत खेतों का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तब वादगत खेत खसरा नम्बर 350 रोही लखासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल व वादगत खेत खसरा नम्बर 1245/1142 रोही जोधासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर अंकित दर्ज कर दिया गया जो गलत अंकित दर्ज किया गया हैं। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम रामूराम हैं जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध दर्ज नही होने से प्रार्थी को के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना नाम रामूराम अंकित करवाना चाहता हैं। प्रार्थी वादगत खेतों का संयुक्त काबिज रिकार्डेड खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतू दिनांक 04.07.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही बताते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का संयुक्त खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 वादगत खेत के संयुक्त खातेदार होने से गौण अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया हैं। वादगत खेत गांव लखासर व गांव जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियांद एवं पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 350 क्षेत्रफल 9.2200 हैक्टेयर रोही ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम रामलाल व रामेश्वर की जगह प्रार्थी का नाम रामूराम घोषित कर दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावें, अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 10 नोटिस तामिल उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 का नाम डिलिट किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रार्थी के बयान लेखबद्ध किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी. सी स्वीकार किया जाकर संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर खेत खसरा नम्बर 350 तादादी 9.2200 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़, खसरा नम्बर 1245/1142 तादादी 6.2900 हैक्टेयर वाकेरोही जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामलाल व रामेश्वर की जगह प्रार्थी का नाम रामूराम घोषित कर दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 350 तादादी 9.2200 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम 'रामलाल' एवं खेत खसरा नम्बर 1245/1142 तादादी 6.2900 हैक्टेयर वाकेरोही जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम 'रामेश्वर' के स्थान पर शुद्ध नाम 'रामूराम' दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:30 IST
Reason: SelfAttested